फूलसिंह v/s रूपिधाट
मु०नं० 298/2022 प्रपत्र 136 परनाला

.10.22 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद तामिल अनु0 रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम गांवडी तहसील नीमकाथाना के हाल खाता संख्या 220, 221, 389 व राजस्व ग्राम खादरा तहसील नीमकाथाना के हाल खाता संख्या 170 की खातेदारी में प्रार्थी के पिता का नाम कल्लुसिंह/कालुसिंह/कल्याणसिंह दर्ज है जबकि सही नाम कल्याणसिंह है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गांवड़ी, आधार कार्ड सहकारी किसान कार्ड की प्रतिया लगाई है जिनमें प्रार्थीगण के पिता का नाम कल्याणसिंह अंकित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ सरपंच श्री शेरसिंह पुत्र रावतसिंह, नरेन्द्र पुत्र रेवतसिंह का लिखित एवं नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र पेश किया है। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टी गलत है जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैः–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
गांवड़ी	खाता संख्या 220, 221, 389	फूलसिंह पुत्र कालूसिंह	फूलसिंह पुत्र कल्याणसिंह

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)